संख्या-94/2015/नौ-9-2015-47ज/13

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,उ0प्र0,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक 19 अगस्त, 2015

विषय- 14वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2015-2016 हेतु सामान्य बुनियादी अनुदान की प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक विशेष सचिव,वित्त संसाधन(वित्त आयोग)अनुभाग के पत्र संख्या - एफ0सी0जी0आई-27/दस-2015-20/2015,दिनांक 25 अगस्त,2015 एवं संलग्न भारत सरकार के पत्र दिनांक 18-08-2015 (प्रतिलिपि संलग्न) के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों के लिये 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2015-2016 हेतु सामान्य बुनियादी अनुदान की प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त धनराशि रू0 491.80 करोड (रूपये चार अरब इक्यान्नबे करोड अस्सी लाख मात्र) की धनराशि समस्त कार्यरत स्थानीय निकायों को आवंटित करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	निकाय का नाम	धनराशि (करोड रू0 में)
1	नगर निगमों हेतु	196.72
2	नगर पालिकाओं/नगर परिषदों हेतु	196.72
3	नगर पंचायतों हेतु	98.36
	योग	491.80

(1) उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस शर्त के साथ रखी जा रही है कि आपके द्वारा 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों/नीतियों का अक्षरश: पालन करते हुये निर्धारित मानक के अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों को उनके हिस्से की नियत धनराशि विलम्बतम दिनांक 03 सितम्बर,2015 तक अवश्य आवंटित कर दिया जाय।

(2) उक्त धनराशि का कोषागार से आहरण करके निदेशक,स्थानीय निकाय,उ0प्र0 द्वारा सर्वप्रथम पंजाब नेशनल बैंक में खुले 14वें वित्त आयोग के नोडल खाते में जमा करने के पश्चात नागर

http://shasanadesh.up.nic.in/

स्थानीय निकायों के 14वें वित्त आयोग से संबंधित खुले खातों में बैंक द्वारा इलेक्ट्रानिक माध्यम से निर्धारित समयान्तर्गत अन्तरित कराया जाय।

(3) धनराशि के आहरण की सूचना, बाउचर संख्या व दिनांक सहित निदेशक,स्थानीय निकाय द्वारा शासन के वित्त विभाग व नगर विकास विभाग को उपलब्ध करायी जायगी।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रस्तर 9.71 के अनुसार स्वीकृत अनुदान का उपयोग मूलभूत नागरिक सुविधाओं यथा-जल आपूर्ति,सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन ,सेप्टैज प्रबंधन सहित स्वच्छता ,जल निकासी,सामुदायिक परिसम्पत्तियों का रखरखाव,सडकों,फुटपाथों एवं स्ट्रीट लाइट तथा कब्रिस्तान और श्मशानों का रखरखाव पर व्यय की जाय।

(5) स्थानीय निकायों के लिये संस्तुत अनुदान को राज्य के बजट में आयोजनेत्तर व्यय के रूप में दर्शाया जायगा।

(6) टेण्डर की कार्यवाही केवल अनुमोदित कार्यो हेतु की जायेगी।

(7) इस अनुदान के लेखों का रखरखाव संबंधित निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायगा। इस अनुदान के उपयोग एवं सम्प्रेषण की प्रणाली निदेशक,स्थानीय निकाय,उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जायगा।

(8) 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत संस्तुत अनुदान राशि का उपयोग निर्धारित स्कीमों के अन्तर्गत किये जाने से संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराये जाने होंगे। तत्संबंधी प्रमाण-पत्र यथाशीघ्र भारत सरकार को वित्त विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना होगा।

(9) उपयोगिता प्रमाण पत्र नगर निगमों के संबंध में नगर आयुक्त एवं नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों के संबंध में जिलाधिकारी के माध्यम से निर्धारित प्रारूप पर चालू वित्तीय वर्ष में ही निदेशक,स्थानीय निकाय,उ0प्र0 लखनऊ ,महालेखाकार,उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2- नगर निगमों के संबंध में संबंधित नगर आयुक्त तथा नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों के संबंध में संबंधित अधिशासी अधिकारी यह सुनिश्चित करंगे कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित दिशा-निर्देश के अनुरूप एवं समयबद्ध रूप से किया जाय। दिशा-निर्देशों से हटकर किया गया व्यय अनुमन्य नहीं होगा तथा इसे वित्तीय अनियमितता माना जायगा। इसके लिये संबंधित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत निम्नलिखित लेखाशीर्षक के नामे डाला जायगा:-

क्र0	निकाय का नाम	लेखाशीर्षक
1	नगर निगमों हेतु।	2217- शहरी विकास-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-191-नगर निगमों को सहायता- 05-चौदहवॉ वित्त आयोग-0501-सामान्य बुनियादी अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)

2	नगर पालिका परिषदों हेतु	2217-शहरी विकास-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-05-चौदहवॉ वित्त आयोग-0501-सामान्य बुनियादी अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)
3	नगर पंचायतों हेतु।	2217- शहरी विकास-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-193-नगर पंचायतों/ अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-05-चौदहवॉ वित्त आयोग-0501-सामान्य बुनियादी अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार(रिपोर्ट ब्रांच)/प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वरिष्ठ उप महालेखाकार,स्थानीय निकाय(लेखा परीक्षा एवं लेखा),उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव,वित्त विभाग,उ0प्र0शासन।
4. निदेशक,स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,उ0प्र0,इलाहाबाद।
5. मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2,उ0प्र0शासन।
7. वित्त संसाधन(वित्त आयोग)अनुभाग/वित्त संसाधन(केन्द्रीय सहायता)अनुभाग, उ0प्र0शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

http://finance.up.nic.in/